



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36 ]  
No. 36]नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 1999/वैशाख 24, 1921  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 1999/VAISAKHA 24, 1921

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1999

सं. भा.आयु.परि. 34(41)-99-मेडि.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन से, नए आयुर्विज्ञान कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरम्भ और आयुर्विज्ञान कालेजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम, 1993 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

- (1) ये विनियम, नए आयुर्विज्ञान कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरम्भ और आयुर्विज्ञान कालेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि (संशोधन) विनियम, 1999 कहे जाएंगे।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- नए आयुर्विज्ञान कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों का आरम्भ और आयुर्विज्ञान कालेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम, 1993 में, "मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेजों/संस्थानों में एम.बी.बी.एस./उच्चतर पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/डिग्री/उच्चतर विशेषज्ञताओं सहित) की प्रवेश संख्या में वृद्धि हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन" शीर्ष के अंतर्गत योजना में "अर्हक मानदंड" उप-शीर्ष के अधीन; खण्ड 1 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1क. आयुर्विज्ञान कालेज/संस्थान को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 10क के अधीन केन्द्रीय सरकार की विधिवत अनुमति प्राप्त हो चुकी है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश क्षमता में वृद्धि की अनुमति मांगी गयी, आरम्भ कर दिया गया है।"

डा. (श्रीमती) एम. मन्मदेवा, सचिव

पाद टिप्पणी.—मूल विनियम संख्या 34(41)/93-चिकि.(एन) दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-3, खण्ड-4 में दिनांक 29 मितम्बर, 1993 को प्रकाशित हुए थे।

संशोधित विनियम, 1997, संख्या एम.सी.आई.-34(41)/93-चिकि.(एन) दिनांक 13 जून, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-3, खण्ड-4 में 24 जून, 1997 को प्रकाशित हुआ था।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 1999

**No. MCI 34(41)-99-MED.**—In exercise of the powers conferred by section 10A, read with section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Establishment of new Medical Colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in medical colleges Regulations, 1993, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Establishment of New Medical Colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in Medical Colleges (Amendment) Regulations, 1999

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Establishment of new Medical Colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in medical colleges Regulation, 1993, in the Scheme under the heading "Application for permission of the Central Government to increase the admission capacity in MBBS/Higher Courses (including Diploma/Degree/Higher Specialities) in the existing Medical Colleges/Institutions", under the sub-heading "Qualifying Criteria", after clause 1, the following shall be inserted, namely :—

"1A. Medical College/Institution has received the formal permission of the Central Government under section 10A of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and has started the post-graduate course in which the increase in admission capacity is sought."

Dr. (Mrs.) M. SACHDEVA, Secy.

**Foot Note:**—The principal regulation were established in the Part III, Section 4 of the Gazette of India, vide No. 34(41)/93-MED.(N), dated 20th December, 1993 on 29th September, 1993.

The amendment Regulations, 1997 were published in Part III, Section 4 of Gazette of India, vide No. MC1-34(41)/93-MED.(N) dated 13th June, 1997 on 24th June, 1997.